

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, सोमबार, मई 12, 2014/वैशाख 22, 1936

No. 257]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 12, 2014/VAISAKHA 22, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2014

सा.का.नि. 333 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उप निदेशक प्रवर्तन, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में उप निदेशक प्रवर्तन के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उप निदेशक प्रवर्तन भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अईता आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अईताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरईता वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की हैं ; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की हैं;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. उप निदेशक प्रवर्तन	150* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन वैंड-3, 15600- 39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	(i) 25 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा (ii) 75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ
श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	समिति है तो उसकी संरचना	लोक सेवा आयोग से
		परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नित :	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति	पदों को भरने के लिए
वेतन बैंड-2 (9300-34,800 रु0) + ग्रेड बेतन 5400 रुपए	समिति (प्रोन्नति के लिए) :-	संघ लोक सेवा आयोग
में ऐसे सहायक निदेशक प्रवर्तन जिन्होंने उस श्रेणी में पांच	(i) अध्यक्ष या सदस्य संघ	से परामर्श करना
वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसे सहायक	लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष	आवश्यक है।
निदेशक प्रवर्तन जिन्होंने वेतन बैंड-2 (9300-34,800 रु.) +	(II) अपर सचिव, राजस्व	
ग्रेड वेतन 4800 रु. में सहायक निदेशक प्रवर्तन और प्रवर्तन	विभाग -सदस्य	
अधिकारी के रूप में छह वर्ष संयुक्त नियमित सेवा की है या	(।।।) निदेशक प्रवर्तन -सदस्य	
वेतन बैंड-2 (9300-34,800 रु.) + ग्रेड वेतन 4600 रु. में	समूह 'क' विभागीय पुष्टि	
सहायक निदेशक प्रवर्तन और अधीक्षक के रूप में सात वर्ष	समिति (पुष्टि के संबंध में	
संयुक्त नियमित सेवा की है, जिसमें से सहायक निदेशक	विचार करने के लिए) जिसमें	
प्रवर्तन के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा हो।	निम्नलिखित होंगे :-	
टिप्पण-1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ	-
अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए		
विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध	2. अपर सचिव, राजस्व	
में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा		
की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या		
पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो		
भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ		-
व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले		
ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए		
अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
टिप्पण -2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना		
करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी,	i	
2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन		
आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन		
संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की		
गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित		
विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):		
अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा, जिसके अंतर्गत	τ {	
राज्य सरकार, राज्य पुलिस संगठन या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरे		
या भारतीय रिजर्व बैंक या पब्लिक सेक्टर के बैंक भी हैं, वे	i i	
ऐसे अधिकारी :-		

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, रु. 9300-34,800 + ग्रेड वेतन 5400 रुपए या वेतन बैंड-3, रु. 15600-39,100 + ग्रेड वेतन 5400 रुपए या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) (i) जिनके पास राजिवत्तीय या दांडिक विधियों से संबंधित विधिक कार्य, आसूचना, अन्वेषण कार्य और न्यायनिर्णयन या अभियोजन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो; या
- (ii) जिनके पास बैंकिंग या लेखा या संपरीक्षा में कर्म से कम पांच वर्ष का अन्देषण का अनुभव हो। टिप्पण 1:- भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए: समूह 'ग' (सहायक महाप्रबंधक) या समूह 'घ' (उप महाप्रबंधक) पर प्रतिनियुक्ति के क्षेत्र में विचार किया जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक के अधिकारियों के लिए : वेतनमान-IV (मुख्य प्रबंधक) या वेतनमान-V (सहायक महाप्रबंधक) पर प्रतिनियुक्ति के क्षेत्र में विचार किया जाएगा। पोषक प्रदर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रितिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।] टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की

सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी
में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन
पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान
बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त
वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित
तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी
जाएगी।

[फा. सं. ए-35011/4/2009-ए. डी. ई. डी]

बुज मोहन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2014

G.S.R. 333 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Deputy Director of Enforcement, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the post of Deputy Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:—

- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Deputy Director of Enforcement, Recruitment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.— These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, Pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Disqualification. -- No person, --
- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public

1972 5014-2

Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Name of the post	Number of post	Classification.	Pay band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for
(1) Deputy Director of Enforcement	(2) 150 (2014)* *Subject to variation dependent on workload.	(3) General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	(4) Pay Band -3, Rs. 15600- 39100 plus Grade Pay of Rs. 6600/-,	(5) Selection.	(6) Not applicable.	(7) Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
Not applicable.	(9)	(10)
Trot applicable.	Two years for promotees.	(i) 25% by promotion (ii) 75% by Deputation including Short-Term Contract

In case of Recruitment by promotion/deputation/absorption be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(11)	(12)	(13)
Assistant Director of Enforcement in Pay Band-2 (Rs. 9300-34,800) plus Grade Pay Rs. 5400 with five years regular service in the grade failing which Assistant Director of Enforcement with six years combined regular service as Assistant Director of Enforcement and Enforcement Officer in PB-2 (Rs. 9300-34,800) plus Grade Pay of Rs. 4800 or seven years of combined regular service as Assistant Director of Enforcement and Superintendent in Pay	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) (I) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman. (II) Additional Secretary, Department of Revenue – Member (III) Director of Enforcement – Member Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

Band-2 (Rs. 9300-34,800) plus Grade Pay Rs. 4600, out of which four years regular service as Assistant Director of Enforcement.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than haif of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (Including Short Term Contract):
Officers of All India Services or Central Services including State Governments, State Police Organizations or Central Bureau of Investigation or Reserve Bank of India or Public Sector Banks:
(A)(I) Holding analogous post on regular basis in

the parent cadre of department; or

(II) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band -2 of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 5400 or Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(B) (I) possessing experience of atleast five years in the field of Legal work, Intelligence, Investigation work and Adjudication or prosecution relating to fiscal or criminal laws; or (II) possessing investigative experience of at least five years in Banking or Accounts or Audit.

Note 1:

For RBI Officers: Group 'C' (Assistant General Manager) or Group 'D' (Deputy General Manager) would be considered in the filed of deputation.

For Public Sector Bank Officers:

Scale IV (Chief Manager) or Scale-V (Assistant General Manager) would be considered in the field of deputation.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (Including Short-Term

considering confirmation) consisting

 Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman.
 Additional Secretary, Department of Revenue, – (Member)
 Director of Enforcement – (Member) Contract) including period of deputation (Including Short-Term Contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short-Term Contract) shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale, extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade pay or Pay Scale is the normal replacement Grade without any upgradation.

[F. No. A-35011/4/2009-Ad.ED] BRIJ MOHAN, Under Secy.